

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 692/14

संस्थापन दिनांक:-18/09/14

फाईलिंग नं. 23350400412014

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

1. सुखदेव पिता गोकुल सिंह, उम्र 40 वर्ष
  2. गोकुल सिंह पिता चैतराम, उम्र 50 वर्ष
- सभी निवासी ग्राम सोनतलाई  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 18.12.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 26.08.2014 को शाम करीब 05:00 बजे फरियादी के मकान के सामने ग्राम सोनतलाई थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी सीताबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी सीताबाई को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी सीताबाई हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 26.08.2014 को शाम करीब 5 बजे फरियादी सीताबाई अपने घर के सामने भैंस को चारा डाल रही थी। दोनों अभियुक्तगण सुखदेव एवं गोकुल आये और फरियादी के घर के सामने बने संडास के गढढे पर गालियां देने लगे। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त सुखदेव एवं गोकुल उसके साथ हाथ, थप्पड़ से मारपीट की, जिससे फरियादी को गाल, दाहिने हाथ की कलाई एवं अंदरूनी चोट आई थी। अभियुक्तगण ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 692/14 में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना

के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

**विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण**

5 सीताबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे गंदी गंदी गालियां दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी

को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 साक्षी सीताबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में साक्षी सीताबाई (अ.सा.-1) ने न्यायालय में कोई भी कथन नहीं किए हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

### **विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण**

8 सीताबाई (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त सुखदेव ने उसके कान के पास 2-3 तमाचे मारे। 2-3 महीने तक उसका इलाज चला। उसने थाने में रिपोर्ट की थी।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-4) ने दिनांक 27.08.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत सीताबाई का परीक्षण किये जाने पर उसके दाहिने कान में दर्द एवं गर्दन में 3गुणा2 सेमी आकार की सूजन पाई थी। साक्षी ने आहत को आयी चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से तथा 12 से 24 घंटे क भीतर पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

10 मंगलमूर्ति (अ.सा.-5) ने दिनांक 03.09.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 692/14 में नक्शा मौका (प्रदर्श पी-1) तैयार किया जाना बताया है तथा उक्त दिनांक को ही अभियुक्तगण गोकुल एवं सुखदेव को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है, जिससे अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में दोंडया (अ.सा.-3) कौशल्या (अ.सा.-2) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। प्रति परीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किए हैं। प्रति परीक्षण में साक्षी दोंडया ने घटना की कोई जानकारी ना होना बताया तथा साक्षी कौशल्या (अ.सा.-2) ने प्रति परीक्षण में यह बताया कि उसके पति ने फरियादी से यह कहा था कि गढे का पूद दो नहीं तो उसमें बच्चे वगैरह गिर जायेंगे। इसके बाद उसका पति खेत पर चला गया था। अतः ऐसी स्थिति में उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है परंतु न्यायालय के मत में मात्र उपर्युक्त साक्षीगण के अभियोजन का समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता है।

13 अभिलेख पर फरियादी/आहत की साक्ष्य उपलब्ध है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आहत घटना का सर्वोत्तम साक्षी होता है। अतः फरियादी के कथनों से यह देखा जाना है कि एकमात्र उसके कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले का प्रमाणित माना जा सकता है या नहीं।

14 सीताबाई (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उससे कहा कि गढा क्यों किया है, तब उसने अभियुक्तगण से कहा कि अपनी हद में बनवाया है, संडास बनवाउंगी। तभी अभियुक्त सुखदेव दौड़ कर आया और कान के पास 2-3 तमाचे मारे। प्रति परीक्षण में यह बताया कि अभियुक्त सुखदेव और गोकुल उसके परिवार के हैं। इस सुझाव को गलत बताया कि अभियुक्त ने कहा था कि हमारी जमीन पर गढा क्यों खोदा है। स्वतः कहा कि अभियुक्त सीधे आया और मारपीट कर दिया। प्रति परीक्षण के पैरा 3 में साक्षी ने यह बताया अभियुक्त सुखदेव के अलावा उसे लडकी और पत्नी थी। इसके अलावा और कोई नहीं था। अभियुक्त सुखदेव को उसकी लडकी और पत्नी मौके से लेकर चली गई थी।

15 फरियादी सीताबाई (अ.सा.-1) ने अभियुक्त सुखदेव के द्वारा उसके कान के पास 2-3 थप्पड़ मारा जाना बताया है तथा चिकित्सीय परीक्षण में आहत के दाहिने कान में दर्द एवं गर्दन में सूजन पाई गई है। परंतु साक्षी सीताबाई (अ.सा.-1) ने अभियुक्त गोकुल द्वारा मारपीट किए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किउए हैं। साथ ही प्रति परीक्षण में साक्षी ने यह बताया कि मौके पर अभियुक्त सुखदेव के अलावा उसे लडकी और पत्नी थी और कोई नहीं था। अतः निश्चायक

रूप से यह भी नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त गोकुल मौके पर उपस्थित था। इस प्रकार अभिलेख पर अभियुक्त गोकुल द्वारा आहत की मारपीट किए जाने एवं अभियुक्त गोकुल की मौके पर उपस्थिति संदेहास्पद है, परंतु आहत सीताबाई (अ. सा.-1) अभियुक्त सुखदेव के द्वारा मारपीट किए जाने के कथनों पर पूर्णतः स्थिर है तथा उसकी साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से भी समर्थित है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त गोकुल की मौके पर उपस्थिति एवं उसके द्वारा सीताबाई की मारपीट किया जाना या अभियुक्त सुखदेव के कृत्य में सहयोग किया जाना प्रमाणित नहीं हो रहा है, परंतु उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त सुखदेव ने फरियादी सीताबाई की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

### **विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण**

**16** उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी सीताबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया साथ ही अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त गोकुल ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सीताबाई को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी सीताबाई को स्वेच्छया उपहति कारित की, परंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त सुखदेव ने फरियादी सीताबाई की हाथ थप्पड़ से मारपीट कर उसे स्वेच्छा उपहति कारित की। फलतः अभियुक्तगण सुखदेव एवं गोकुल को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से तथा अभियुक्त गोकुल को धारा 323/34(तीन काउंट में) भा.दं.सं. के आरोप में दोमुक्त किया जाता है तथा अभियुक्त सुखदेव को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 में दोषी पाया जाता है।

**17** अभियुक्त गोकुल को छोड़ा जावे तथा उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त सुखदेव के उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

### पुनश्च :-

18 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः उन्हें परीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

19 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी को मारपीट किये जाने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी एवं आहत के साथ मारपीट कर उन्हें उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

20 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त एवं फरियादी एक ही ग्राम के निवासी हैं। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्तगण को केवल न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्तगण को धारा 323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 700 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उन्हें 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

21 प्रकरण में धारा 357(1) दं.प्रं.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 500/- रुपये फरियादी सीताबाई पिता भोपलासिंह निवासी सोनतलाई थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

22 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

23 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)